

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शिवाज की प्रवेश दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत के दिनांक के अंतर्गत की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार की प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त संस्था पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता प्रमाण जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/रीजल्टों से जमा की गई अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि, नियमों, आदेशों/निर्देशों/शासनोद्देशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये विद्यार्थी विनियमों आदेशों निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संदर्भ में संस्था उत्तराखण्ड संस्था का होगा और निर्देशक एवं पीसीआई की कार्यवाही के लिए संस्था साथ उत्तराखण्ड की प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सहायता देना आवश्यक होगा।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रवेश लखनऊ द्वारा प्रवेश को के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं उत्तराखण्ड प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा लख प्रवेश की (कार्टिसिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोद नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश एवं निर्गत नवीनतम आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की एडमिशन/रीजल्टों, अनुमोदन प्राप्त करने, उपलब्धता प्राप्त किया जाने वाला सुल्क, छात्रवृत्ति सुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय उपलब्ध कराने के साथ समस्त संस्था के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम का कक्षाएं जानें एवं निर्देशक समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अभिलेख, सूची भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था संचालन का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपलब्ध संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित किया जाने की अनुमति नहीं जमागी।
- ✓ सम्बद्धता प्रतीक का अनुपालन न किया जाने अथवा प्रतीक का उपलब्धता किया जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)
सचिव

पूरा सं- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद दिनांक 15-5-2019

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, हरिद्वार, हरिद्वार हरिद्वार आर्य समाज की एण्ड मैनेजमेंट, रांग रांगेशपुर, लखनऊ

(सुनील कुमार शर्मा)
सचिव

- ✓ संस्था की समता-समय पर निर्गत राजपत्रों के अनुसार विज्ञापन एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को राजपत्रों/नियमों/वैधानिक/नियमों में आगामी राज हेतु अनुमोदन प्राप्त किए जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष विधि/नियमों/अभिनियमों/समाचारपत्रों/नियमों एवं विदेशिक, आर्थिक विद्या, उद्योग, संस्कृत प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग तथा प्राथमिक विद्या परिषद, उद्योग द्वारा प्रत्येक वर्ष नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का प्रकाशन करने के लिये काम करेगी।
- ✓ विदेशी इन भारतीय पत्रकारिता को संस्थाएं यदि राजपत्रों में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त राजपत्रों/नियमों का होगा और विधिक रूप से किसी भी राजपत्रों के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक विद्या परिषद, संस्कृत प्रवेश परीक्षा परिषद, आर्थिक विद्या निर्देशालय एवं प्राथमिक विद्या विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी काम आकर किया जाता है तथा उत्तर बाद के संस्था में या आगामी द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी कार्यकें निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित कार्य उसे करनी होगी।
- ✓ विदेशी इन भारतीय पत्रकारिता संघर्षित करने वाली संस्थाओं को संस्कृत प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयों द्वारा होने के पूर्व राजपत्रों/नियमों में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद शासनालय को सम्बन्धित करना होगा अन्यथा उनके प्रवेश की (कार्यालयों) में सम्बन्धित प्रवेश संस्था उत्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोदित नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश संस्थाएं द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तिकाएं, उत्तर, उत्तर-समय, समाचार, प्रवेश विद्या जाने जाते शुल्क, आगामी शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विवरण-परिष्कार हेतु उपर्युक्त आवश्यकताएं सम्बन्धित करने के साथ-साथ उद्योगों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था में प्रकाशित/समाहित पत्रकारिता को उत्तरी करने हेतु विदेशी संस्थाओं के साथ सम्बन्धित करने वाले अभिनेता भूमि-उत्तर, फनीकर, सम्बन्धित इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पत्रकारिता के संघर्ष में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उत्तरदायी का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बन्धित सम्बन्धित करने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित कार्य का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्य का सम्बन्धित किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालन/कार्यकारी की जायेगी।

(सोमेश कुमार कर्नाटिया)
सचिव/सूरी सचिव

सूचना- प्राथमिक/परिषद सम्बन्धित/2020/ 1972-3141

संस्था/सूरी-09-2020

प्राथमिक-आचार्य/विदेशिक, आचार्य/सूरी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन, आचार्य/सूरी प्रवेश परीक्षा-सूरी, उत्तर प्रदेश

(सोमेश कुमार कर्नाटिया)
सचिव/सूरी सचिव

कार्यक्रम

प्रवेश-शैक्षणिक विभाग परिवर्तन

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- शैक्षणिक/सीएच/सम्बन्धित/2021/3527

दिनांक- 09/08/2021

[Signature]

उत्तराखण्ड सरकार

शैक्षणिक आयोग उत्तराखण्ड शिक्षा-समिति और उत्तराखण्ड शिक्षा-समिति द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु शिक्षण संशोधन (स्कूलों में शिक्षण परिवर्तन) का अनुसंधान आयोग द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षा-समिति, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शैक्षणिक विभाग परिवर्तन हेतु शिक्षण- (2021/22) के लिए प्रस्तावित शिक्षण संशोधन आयोग की सेवाएं संवत् 2021-22 हेतु आयोग को आवंटित की जा सकती हैं। (अनुसंधान विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शैक्षणिक विभाग परिवर्तन हेतु शिक्षण- (2021/22) हेतु शिक्षण संशोधन आयोग द्वारा किया गया है।)

उत्तराखण्ड शिक्षण-समिति की सेवाएं सिविल इंजीनियरिंग में अनुसंधान विभाग द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षा-समिति, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु शिक्षण-समिति द्वारा किया गया है। उत्तराखण्ड शिक्षण-समिति द्वारा शैक्षणिक विभाग परिवर्तन की जाती है।

आयोग की संख्या : 1967-INDUSTRIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, VILLAGE GANESH PUR, MANARA, MEDINI

क्र.सं.	शैक्षणिक विभाग	संवत् 2021-22 हेतु अनुसंधान किए जाने वाले विभाग	शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु अनुसंधान किए जाने वाले विभाग
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
5	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु शिक्षण-समिति द्वारा शैक्षणिक विभाग परिवर्तन की जाती है।

संख्या- 1967-INDUSTRIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, VILLAGE GANESH PUR, MANARA, MEDINI द्वारा शैक्षणिक विभाग परिवर्तन हेतु शिक्षण- (2021/22) के लिए प्रस्तावित शिक्षण संशोधन आयोग की सेवाएं संवत् 2021-22 हेतु आयोग को आवंटित की जा सकती हैं। (अनुसंधान विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शैक्षणिक विभाग परिवर्तन हेतु शिक्षण- (2021/22) हेतु शिक्षण संशोधन आयोग द्वारा किया गया है।)

उत्तराखण्ड शिक्षण-समिति की सेवाएं सिविल इंजीनियरिंग में अनुसंधान विभाग द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षा-समिति, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु शिक्षण-समिति द्वारा किया गया है।

उत्तराखण्ड शिक्षण-समिति की सेवाएं सिविल इंजीनियरिंग में अनुसंधान विभाग द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षा-समिति, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु शिक्षण-समिति द्वारा किया गया है।

उत्तराखण्ड शिक्षण-समिति की सेवाएं सिविल इंजीनियरिंग में अनुसंधान विभाग द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षा-समिति, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु शिक्षण-समिति द्वारा किया गया है।

उत्तराखण्ड शिक्षण-समिति की सेवाएं सिविल इंजीनियरिंग में अनुसंधान विभाग द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षा-समिति, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु शिक्षण-समिति द्वारा किया गया है।

उत्तराखण्ड शिक्षण-समिति की सेवाएं सिविल इंजीनियरिंग में अनुसंधान विभाग द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षा-समिति, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु शिक्षण-समिति द्वारा किया गया है।

- ✓ विप्लोम इन कार्मही पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिवत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर बात के संबंध में मा. स्थापनालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विप्लोम इन कार्मही पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश लघुमंडू द्वारा प्रायिक वर्ष के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉलिफिकेशन प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई.डी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (क्वॉलिफिकेशन के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम अध्यापन नियमों का अनुपालन करत आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुल्क, छात्रवार सुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पर्यवेक्षित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, कार्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जावेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए.आई.टी.आई./पी.सी.आई.डी/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपस्थानकारी कार्यवाही की जावेगी।

(मुनील कुमार
सचिव)

सचिव

दिनांक:
09/09/2021

पू.सं०- प्रावि/परिषद संख्या/2021/3538-4805

प्रतिभा-

स्थापनाकेन्द्र, निदेश/ HASTINAPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, VILLAGE-GANESHPUR, MAWANA, MEERUT



(मुनील कुमार
सचिव)

सचिव